

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1727

जिसका उत्तर 11.02.2021 को दिया जाना है

फास्ट टैग सिस्टम का कार्यान्वयन

1727. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:

श्री पी.वी.मिधुन रेड्डी:

श्री टी.आर.वी.एस. रमेश:

श्री कुरुवा गोरान्तला माधव:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जनवरी, 2021 से पूरी तरह से फास्टैग सिस्टम लागू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी टोल प्लाजा पर हाइब्रिड लेन भी चालू रहेंगी; और

(घ) यदि हां, तो ये हाइब्रिड लेन कब तक चालू रहने की संभावना है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सरकार ने 01.01.2021 से 1 दिसंबर, 2017 से पहले बेची गई मोटर वाहनों की एम एंड एन श्रेणियों में फास्टैग के फिट होने को अनिवार्य किया है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा 31.12.2020 को जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर फीस प्लाजाओं की हाइब्रिड लेनों में फास्टैग के साथ-साथ कैश मोड के माध्यम से शुल्क भुगतान 15 फरवरी, 2021 तक जारी रहेगा।
